कार्यालय–ज्ञाप

देहरादून : दिनांक : 31 मई, 2022

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–13 के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु निम्न पात्रता के कार्मिकों से इच्छित स्थानों हेतु प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिनांक 15 जून, 2022 तक आमंत्रित किये जाने हैं :–

(1) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु कोई भी कार्मिक आवेदन हेतु पात्र होगा।

(2) दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम् 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा, किन्तु स्थानान्तरण हेतु इच्छुक स्थान उसके गृह विकास खण्ड के बाहर हो और ठीक पूर्व की तैनाती के स्थल पर ऐसे कार्मिक की भविष्य में पुनः तैनाती 06 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी।

(3) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति–पत्नी सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थाान पर तैनाती हेतु इच्छुक हों तो वे तदनुसार सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसी तैनाती के उपरान्त जब भी पति/पत्नी किसी कार्य स्थल पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति–पत्नी यथा लागू सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेंगे।

(4) कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) अधिनियम की धारा–3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्ता/विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र/स्थान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

(5) मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार हैं तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता–पिता पर निर्भर है, ऐसी दशा में उनके माता–पिता मेडिकल बोर्ड के एतदविषयक प्रमाण–पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होंगे।

(6) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक (55 वर्ष की आयु) अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

अतः उक्त निर्धारित तिथि तक अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक अपना विकल्प प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, दिनांक 15 जून, 2022 के पश्चात् प्राप्त विकल्पों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(पुष्पक ज्योति)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड।

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या : 1२४)/01/स्था0अधि0–2017/2022, दिनांक– मई, 2022